संख्या-595/2020/1057/22-2-2020-17(682)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयसिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह निवासी जनपद-एटा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.09.2020, दिनांक 02.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जयसिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह, बनेहरा, थाना-बागवाला, जनपद-एटा का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 02.02.1984 को तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-122/85 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 नवम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 17.02.1986 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च् न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2017 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2018 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 02 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 08 माह 25 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न होने की आख्या अंकित की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा कारावास में भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयसिंह (बन्दी संख्या-104/2017) पुत्र श्री गोकुल सिंह निवासी जनपद-एटा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-595/2020/1057(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in